फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री मोहनलाल बनाम विपक्षी : श्री राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीण्डर व अन्य

पत्रावली संख्या 70/24

किस्म मुकदमा – 131, 136 भू.राजस्व अधिनियम

क्रमांक	कार्यवाही विवरण
	दिनांक 01.09.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में अधिववक्ता प्रार्थी के कथनानुसार मौजा निमडी पटवार हल्का चारगदिया तहसील भीण्डर की साबिक आराजी न. 1688/1380 रकबा 12 बिस्वा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज थी। नवीन सेटलमेंट के बाद उक्त साबिक आराजी न. के नये आराजी न. 1568 रकबा 0.13 हे. बने। प्रार्थी के कथनानुसार नवीन सेटलमेंट के बाद प्रार्थनाग्रस्त भूमि पूर्व में नक्शे में जहां अंकित थी उसे वर्तमान में गलत जगह राजस्व नक्शा में दर्शा दी गई है जिससे प्रार्थी द्वारा प्रार्थनाग्रस्त भूमि के नक्शे को साबिक आराजी न. 1688/1380 के हिसाब से शुद्ध किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर द्वारा रिपोर्ट पेश की गई तथा रिपोर्ट को ही जवाब माने जाने का निवेदन किया। तहसीलदार भीण्डर द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताया कि ग्राम नीमडी की गत जमाबंदी रेकर्ड में साबिक ख.न. 1688/1380 रकबा 0–12 बिघा जो कि प्रार्थी मोहनलाल पिता डुंगा ओड सा. देह के नाम दर्ज रेकर्ड थी। साबिक आराजी न. 1688/1380 रकबा 0–12 बिघा के नवीन ख. सं. 1568 रकवा 0.13 है. बने है। नवीन जमाबंदी संवत् 2078–81 के नवीन आराजी न. 1568 रकबा 0.13 हे. प्रार्थी मोहनलाल पिता डुंगा ओड सा. देह के नाम से दर्ज रेकर्ड है। प्रार्थी मौके पर वर्तमान में नवीन ख.न. 2128/1569 रकबा 0.21 हे. पर कब्जा काश्त है जो कि उक्त ख.न. वर्तमान रेकर्ड में मोती पुत्र भारता, रामा पुत्र रूपा, सांवरीबाई पुत्री लखमा जाति मीणा सा.देह के नाम से ही दर्ज रेकर्ड है। तहसीलदार भीण्डर द्वारा बताया कि प्रार्थी के कब्जेशुदा वाले नवीन ख. न. 2128/1569 का साबिक ख.न. 1720/1380 रकबा 1 बिघा थे जो कि गत रेकर्ड में भी मोती पिता भारता, रामा पुत्र रूपा, सांवरीबाई पुत्री लखमा मीणा सा.देह के नाम से ही दर्ज रेकर्ड थी। प्रार्थी द्वारा दायर [illegible] में ख.न. 2128/1569 रकबा 0.21 है. में कब्जा काश्त होने से उक्त ख.न. अपने नाम से दर्ज [illegible] ना चाहता है जबकि उक्त ख. न. पूर्व के रेकर्ड में मोती पिता भारता, रामा पिता रू[illegible] सांवरीबाई पिता लखमा मीणा सा. देह के नाम से ही दर्ज रेकर्ड थी एवं नवीन सेटलमेंट पूर्व [illegible] रेकर्ड [illegible] पिता भारता, रामा पिता रूपा, सांवरीबाई पिता लखमा मी[illegible] सा.देह के नाम से [illegible] रेकर्ड है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahedrya
Date: 2026.01.15 14:49:12 IST
Reason: SelfAttested

हमने पाया कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थनाग्रस्त भूमि के सेटलमेंट के बाद राजस्व नक्शा ट्रेस को त्रुटिपूर्ण वताया तथा कथन कहा की प्रार्थ... भूमि की तरमीम गलत जगह कर दी गई है जबकि तहसीलदार भीण्डर द्वारा ... रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि साबिक आराजी न. 1688/1380 रकबा 0-12 विघा प्रा... नाम दर्ज रेकर्ड थी एवं उक्त साबिक आराजी न. 1688/1380 से बने नये आराजी 1568 रकबा 0.13 है. भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज रेकर्ड है जबकि प्रार्थी के कब्जेशुदा आ... न. 2128/1569 का साबिक आराजी न. 1720/1380 रकबा 1 बिघा जो कि गत ... एवं वर्तमान रेकर्ड में भी मोती पिता भारता, रामा पुत्र रूपा, सांवरीबाई पुत्री लखमा मी... सा. देह. के नाम दर्ज रेकर्ड है। तहसीलदार भीण्डर द्वारा अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट कि... गया है कि ख.न. 2128/1569 पूर्व के रेकर्ड में मोती पिता भारता, रामा पिता रू... सांवरीबाई पिता लखमा मीणा सा. देह के नाम से ही दर्ज रेकर्ड थी एवं नवीन सेटलमें... भू प्रबंध रेकर्ड में मोती पिता भारता, रामा पिता रूपा, सांवरीबाई पिता लखमा मीणा सा. देह के नाम से ही दर्ज रेकर्ड है जिससे प्रार्थी का यह कथन साबित नहीं होता है कि नवीन सेटलमेंट के बाद प्रार्थनाग्रस्त भूमि की तरमीम गलत अंकित कर दी गई हो। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार योग्य पाया जाता है।

—:: आदेश ::—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 भू. राजस्व अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2026.01.15 14:49:12 IST
Reason: SelfAttested